

Stamps Worth Rs. 10/- Enclosed



प्र० २६  
(नियम ४क देखिए)

२९-अक्टूबर २०१५ का दृष्टांजलि  
(निर्वाचन क्षेत्र से)  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

२९-अक्टूबर २०१५ (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, विमला पुत्र/पुत्री/पत्नी मुमुक्षु  
आयु ३५ वर्ष, जो ममला कुम्हड़ तुलनात्मक दृष्टि  
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता  
हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विश्वित किया गया है/किए गए हैं।  
(यदि अग्रिमाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):— १८  
(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....  
(ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) ..... राज्य .....
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... १९  
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... २०  
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... २१  
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं..... २२
- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिर्ज के लिए सिद्धदोष छहसाला गया है/नहीं

विमला

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले) ..... राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....



सत्यापन

विमला  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अतर्थरतु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

स्थान पर आज तारीख 11-1-12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

विमला

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागे नहीं हैं, काट दिये जायें।

ATTESTED & VERIFIED  
Rajendra Pershad Sharma  
Advocate & Notary  
Distt. Haridwar (U.P.)

IDENTIFIED &  
  
Arun Kumar  
Advocate  
Regd. No. 2559/93  
Date: 27-12-2012  
Court: C.R.T.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 222875

कानूनी अधिकारी (उत्तराखण्ड)  
कानूनी संख्या - 5500

30 DEC 2011

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)  
2010 - 2011



बिमला  
SADUL  
Advocate  
Reg. No. 1559/93  
Civil Court, Rohtak